

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्या:-467/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00750)

1. हरली पत्नी भोलूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम धामस्या, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर। (फौत)

जरिये वारिसान:-

- 1/1. खेमराम पुत्र भोलूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम धामस्या, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
- 1/2. कमलेश पुत्र भोलूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम धामस्या, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारागढ़ जिला जयपुर।

---अप्रार्थी

2. सुगना पुत्री भोलूराम, पत्नी मंगलाराम, जाति बलाई, निवासी चितौडी वाया बांसखोह, तहसील बरसी जिला जयपुर।
3. सुमित्रा पुत्री भोलूराम पत्नी हनुमान, जाति बलाई, निवासी चितौडी, वाया बांसखोह, तहसील बरसी जिला जयपुर।

---प्रारूपिक अप्रार्थीगण

उपस्थिति:-

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक: 04.07.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 86 के तहत प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 07.12.2015 के विरुद्ध प्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2017 में आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय को बहाल रखने में अहम कानूनी भूल की है जबकि अपीलार्थी द्वारा आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने बाबत समय-मय पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा आवंटित भूमि में अपीलार्थीगण की माता व अपीलार्थीगण ने काफी उपजाऊ बनाया तथा बारिश होने पर काश्त की गई लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने आवंटन के आधार पर रिकार्ड में अंकन नहीं किया व खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन नहीं करने के आधार पर कब्जा काश्त नहीं होना मानकर विधि विरुद्ध आदेश दिनांक 06.10.2017 पारित कर दिया उक्त के अलावा अपीलार्थीगण की माता का देहान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत होने से पूर्व होने से मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश है जिसमें अपीलार्थी अत्यन्त पीड़ित एवं प्रभावित है, प्रश्नागत आदेश स्पष्टता कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण रिव्यू किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है।

P.T.O.


संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 एवं आदेश 47 सी.पी.सी. में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय या अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवंटन पत्र पर आदेश पारित करने से तात्त्विक तथ्य की जानकारी न मिलने पर तथा किसी तथ्य व विधि की भूलवश पारित हो गया है तो रिव्यू मंजूर कर प्रश्नागत निर्णय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम का निर्णय निरस्त किया जा सकता है इसलिये न्यायालय श्रीमान् को रिव्यू करने के सम्पूर्ण विधि अनुसार अधिकार प्राप्त है, उक्त प्रकरण में आवंटी भौरीदेवी का स्वर्गवास प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत करने से पूर्व हो गया, इस प्रकार स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित होने से निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने योग्य थी किन्तु उक्त कानूनी बिन्दु पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने कोई मनन व विचार नहीं किया इस कारण प्रार्थना पत्र रिव्यू मंजूर किया जाकर प्रश्नागत आदेश दिनांक 06.10.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का आदेश दिनांक 07.12.2015 खारिज किये जाने योग्य है। अतः पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नागत निर्णय दिनांक 06.10.2017 अपील संख्या 11/2016 निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.1999 ग्राम दौलतपुरा तहसील जमवारा मगढ़ बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।


रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 06.10.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटित भूमि पर अपीलान्त का कब्जा काश्त नहीं होना गिरदावरी सम्वत् 2067 से 2069 व 2070-2071 से स्पष्ट जाहिर होने एवं अपीलान्त द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर दिनांक 06.10.2017 उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जिसे केवल प्रार्थना पत्र रिव्यू के माध्यम से रिव्यू किया जाना न्यायोचित नहीं है जबकि प्रार्थीगण को उक्त निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरुद्ध अपर न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन खारिज किया जाता है।


(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।